(घ) और (ङ.) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की सहमति से, संसद द्वारा पारित एन॰ सी॰ आर॰ प्लानिंग बोर्ड एक्ट 1985 के अन्तर्गत किया गया था। बोर्ड के गठन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करना तथा इसके कार्यान्वन के लिए तालमेल तथा निगरानी करना।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भू-उपयोग नियंत्रण तथा अवस्थापना विकास के लिए सुसंगत नीति तैयार करना ताकि उसके असंगत विकास पर रोक लगाई जा सके।

1. दिल्ली में अप्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि और उसमें नागरिक सेवाओं पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को ध्यान में रख कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने 1989 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय योजना 2001 बनाई। इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

20 लाख आबादी को अन्यत्र बसा कर दिल्ली पर जनसंख्या दबाव कम करना तथा

दिल्ली परिक्षेत्र, हरियाणा के 6 जिलों, उत्तर के 3 जिलों और राजस्थान के अलवर जिले के कुछ हिस्से को मिलाकर 30,242 वर्ग कि॰मी॰ अन्तर्राज्यीय क्षेत्र का विकास करके, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का संतुलित और सुसंगत विकास करना।

2. इस योजना के कार्यान्वयन के तीन नीतिगत अंचल बनाए गए हैं जो इस प्रकार हैं:-

I. सीमित विकास के लिए राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र दिल्ली

II. मर्यादित विकास के लिए, दिल्ली मेट्रोपोलिटन क्षेत्र

III. अभिप्रेरित विकास के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का शेष पूरा क्षेत्र

3. 20 लाख की लक्षित आबादी को बाहर बसाने के लिए एन॰ सी॰ आर॰ योजना में दिल्ली मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के 6 शहरों अर्थात-गजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुडगांव, बहादुरगढ़ तथा कोण्डली और 8 प्राथमिकता कस्बों/परिसरों यथा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर-खुर्जा परिसर, पानीपत रोहतक, पलवल-रेवाड़ी-धारूहेड़ा-भिवाड़ी परिसर और अलवर का निर्धारण किया गया है, ताकि वहां आर्थिक कार्यकलापों के लिए स्थान उपलब्ध कराया जा सके।

4. क्षेत्रीय योजना -2001 में आबादी (पुनर्वर्गीकरण) बसाव प्रणाली, क्षेत्रीय भू-उपयोग पद्धतियों, पर्यावरण कारकों, आर्थिक कार्यकलापों और अवस्थापना सुविधाओं संबंधी नीतिगत ढांचे के माध्यम से अपने उद्देश्य पाने का प्रयास होगा।

Exploration work for Dwarka

2861. SHRI JAGIR SINGH DARD:

DR. SHRIKANTRAM CHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether the exploration work related to the Dwarka found in the Ocean bed is over;

(b) if so, what are the findings and their significance thereof; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, by when it would be completed?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) The marine archaeological exploration work relating to Dwarka is a continuing activity although some specific projects have been completed.

(b) The explorations have found remains of
an ancient harbour including bastions and walls
and parts of boats such as anchors and marts besides some metal artefacts.

It is inferred from the findings that the inhabitants had knowledge of boat building, harbour construction and metals.

(c) Does not arise.

आधुनिकीकृत विद्युत संयंत्र

2862. **श्री नागमणि:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान किन-किन विद्युत केन्द्रों और विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण किया है और उनका दर्जा बढ़ाया है; और

(ख) उनकी पूर्व क्षमता तथा वर्तमान क्षमता का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वणुगेपालाचारी): (क) और (ख) जिन विद्युत यूनिटों का विगत दो वर्षों के दौरान आधुनिकीकरण किया गया तथा उन्नयन किया गया उनकी पूर्व तथा वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता सहित उनके ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विगत दो वर्षों के दौरान जिन विद्युत यूनिटों का आधुनिकीकरण किया गया उनका अपेक्षित विवरण सहित विस्तृत ब्यौरा

क्र०सं०	यूनिट	प्रकार	राज्य	पूर्व क्षमता (मे०वा०)	वर्तमान क्षमता (मे०वा०)
1.	डी वी सी का दुर्गापुर-3	थर्मल	पश्चिम बंगाल	130	140
2.	एन० एल० सी० 1 और 2 चरण-I	थर्मल	तमिलनाडु	2x45	2x50
3.	एन० एल० सी०-9 चरण-I	थर्मल	तमिलनाडु	1x95	1x100
4.	सतपुड़ा-6	थर्मल	मध्य प्रदेश	1x150	1x180
5.	सतपुड़ा-7	थर्मल	मध्य प्रदेश	160	180
6.	भाखड़ा-9 दाहिना किनारा	हाइड्रो	पंजाब	132	157
7.	नागझरी-2	हाइड्रो	कर्नाटक	135	150

Purchase of Transmission Equipments

2863. SHRI MAURICE KUJUR: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred Question 1425 given in the Rajya Sabha on the 5th December, 1996 and state the details of power transmission-related equipments purchased during the last five years without inviting tenders or without obtaining the approval of the Central Electricity Authority with price of each of the equipment and the names of sellers?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES. (DR. S. VENUGOPALACHARI): The transmission schemes of POWERGRID are approved by the Central Electricity Authority as part of the prescribed procedure. No power transmission related equipment have been purchased by POWERGRID during the last five years without inviting tenders.

Central Assistance Under NSAP

2864. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government have been extending 100% central assistance for implementing National Social Assistance Programme (NSAP);

(b) if so, what are the main components of NSAP;

(c) the specific conditions for those components/schemes;